राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1460/2025 **कुलदीप बनाम रजनी रावत** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
05/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2025 पारित करते हुये विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 2.0611 हैक्टेयर वाके ग्राम भटेसरी प.ह. बूडथल तह. बद्दी का बाई मीट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर तहसीलदार बस्सी स्वयं की उपस्थिति में उभयपक्षों को सूचित कर रास्ते को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते हुये यह आदेश पारित किये गये कि विवादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तहसीलदार बस्सी स्वयं की उपस्थिति में उभयपक्षों को सूचित कर रास्ते को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार करे, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां हैं, जिसे अपीलार्थी द्वारा जाहिर की गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होत। है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2025 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	